राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 982 / 2024

दिनेश कुमार बुनकर —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, औद्योगिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विभाग, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
3. महाप्रबंधक, जिला औद्योगिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र, जयपुर (ग्रामीण)।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 27.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री के.सी. सुरेला, अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में जिला उद्योग एवं वाणिज्य अधिकारी के पद पर जयपुर (ग्रामीण) में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.10.2023 (अनुलग्नक—4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण मुख्यालय से वर्तमान पदस्थापन स्थान जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, जयपुर (ग्रामीण) में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, बारां में मात्र 4 माह की अल्प अवधि में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 300 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी के पिता की उम्र 82 वर्ष है, जो काफी वृद्ध है। अपीलार्थी के पिता लीवर, किडनी, ह्रदय, टयूमर, पेट जैसी कई बीमारियों से ग्रसित है। उनकी देखभाल अपीलार्थी द्वारा की जाती है, उनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को जिला उद्योग एवं वाणिज्य अधिकारी के पद पर जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक केन्द्र, जयपुर(ग्रामीण) में कार्य करने के आदेश फरमाये जावें।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील को ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना—पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में जिला उद्योग एवं वाणिज्य अधिकारी के पद पर जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक केन्द्र, जयपुर (ग्रामीण) में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक केन्द्र, जिला बारां में प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है।

5. अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय में **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस. एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> ***"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."***

6. अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 300 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276)** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> ***"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."***

इस प्रकार आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य